कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)

पत्रांक– 3298 /रेनुकूट/ 15–108 दिनांक,रेनुकूट,अप्रैल, 20 , 2022

सेवा में,

महाप्रबन्धक
नार्दन कोल फील्डस लि0
बीना विस्तार परियोजना
बीना–सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में । (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/MIN/24551/2017**) ।

संदर्भः– 1–उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/25 दिनांक– 12.04.2022

2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विमाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2947/11–सी– **FP/UP/MIN/24551/2017** लखनऊ दिनांक– 13.04.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना टेबुलर फार्म में तैयार कराते हुए पॉच प्रतियो में उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि उच्च स्तर के माध्यम् से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा सके ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/05/34/2022/एफ0सी0/25 — दिनॉक : 12.04.2022

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Min/24551/2017

विषय : जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किए जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन के सम्बंध में।

सन्दर्भ:– सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या 304/81–2–2022–800(106)/2021, लखनऊ, दिनांक–10.03.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयाकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओ पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके–

1. As per the proposal, CA land has been proposed in three patches, out of these three patches one patch (table no.-7, SL No-1, area 21.0 ha.) of the CA land is completely overlapping with another project CA site(Proposal No. FP/UP/Trans/41830/2019), this needs rectification/clarification.
2. Revised CA scheme need to be submitted.
3. Revised NPV calculation as applicable as per orders dated 06-01-2022 & 19-01-2022 needs to be submitted.
4. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.
5. Area calculation sheet needs to be verified by concerned DFO.
6. Cost benefit analysis needs to be reworked in view of revised rates of NPV.
7. Reclamation plan has to be submitted.
8. Wildlife Management Plan & Conservation Plan has to be submitted.
9. Approval of prospecting license is required to be submitted.
10. What was the status of the lease from period of end of 1st lease to extension date-was the lease working? Is it working now? Was any FC approval taken after 1980.
11. Copy of earlier approval order & status of compliance of conditions needs to be submitted.
12. Present land use in the earlier leased area.
13. Evacuation plan/approach road has to be provided.
14. Copy of LoI and Sanctity of LoI vis-à-vis Section 10(2) (c) of the MMDR Act.
15. An undertaking is required to be submitted that overburden shall not be dumped outside designated area.
16. A certificate regarding non-availability of same mineral and quantity in surrounding/non-forest area.

Scanned with CamScanner

17. The adjoining mining area has not yet been exhausted, the government should also consider the possibility of further mining in the already mined out areas instead of breaking fresh areas.

18. It appears from the kml files that huge area, in adjacent has been mined out, however, no reclamation has been done so far. The site needs to be inspected by concerned CCF/CF and detailed report on all above aspects needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
4. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2947 /11–सी–FP/UP/Min/24551/2017, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 13 ,2021

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित है कि उ0प्र0 शासन द्वारा आपत्तियों का बिन्दुवार का निराकरण कर सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned with CamScanner